

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 434 / 13

संस्थापन दिनांक:-22 / 10 / 13

फाईलिंग नं. 233504001392013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रामकिशोर पिता शंकर नागले
उम्र 27 वर्ष, निवासी जम्बाड़ी खुर्द,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 08.09.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 13.10.2013 को 16:30 बजे या उसके लगभग उसके घर के सामने मेन रोड जम्बाड़ी खुर्द थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 20 अंगुल चौड़ाई 3 अंगुल को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 13.10.2013 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह हमराह स्टाफ के आरोपी तलाश हेतु देहात रवाना हुआ था। तभी भ्रमण के दौरान उसे ग्राम जम्बाड़ी खुर्द में जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त हाथ में चाकू लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा और अभियुक्त के आधिपत्य से धारदार छुरी जप्त की गयी। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में कागजात नहीं होना बताये जाने पर मौके पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 358 / 13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग

पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.10.2013 को 16:30 बजे या उसके लगभग उसके घर के सामने मेन रोड जम्बाड़ी खुर्द थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 20 अंगुल चौड़ाई 3 अंगुल को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 13.10.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वह हमराह स्टाफ के ग्राम जम्बाड़ी खुर्द अभियुक्त के घर के सामने आम रास्ता पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था। उसके द्वारा अभियुक्त से हथियार रखने के संबंध में लायसेंस पूछने पर लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने मौके पर ही साक्षी कमलनाथ एवं मनोहरी के समक्ष अभियुक्त से धारदार लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 358/13 में (प्रदर्श प्री-5) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया था। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं। साक्षी के अनुसार उसके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से जप्त की गयी लोहे की छुरी आर्टिकल-ए है।

6 कमलनाथ (अ.सा.-1) एवं मनोहरी (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ

है।

7 जाकिर खान (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि वह वर्ष 2013 में आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा प्रधान आरक्षक बिसनसिंह के साथ ग्राम जम्बाड़ी गया था वहां पर अभियुक्त लोहे की धारदार छुरी लिये घूम रहा था लोगों को डरा धमका रहा था उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया था तथा उससे लोहे की छुरी जप्त की गयी थी।

8 कमलनाथ (अ.सा.-1) एवं मनोहरी (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। हमराह आरक्षक जाकिर खान (अ.सा.-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में बचाव वके इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त से छुरी उसके सामने जप्त की गयी थी। साथ ही इस सुझाव को सही बताया है कि वह छुरी की लंबाई चौड़ाई नहीं बता सकता क्योंकि उसके सामने जप्त नहीं की गयी थी। इस तरह से उक्त साक्षी ने अपने समक्ष अभियुक्त से कथित आयुध की जप्त से इनकार किया है तथा साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। तब ऐसी दशा में साक्षी पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

9 प्रकरण में कमलनाथ (अ.सा.-1) एवं मनोहर (अ.सा.-2) से अभियोजन को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है तथा हमराह आरक्षक जाकिर खान (अ.सा.-4) विश्वसनीय नहीं पाया गया है तब ऐसी स्थिति पर अभिलेख पर एकमात्र साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः तर्क के परिप्रेक्ष्य में विवेचक बिसनसिंह की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने सूचना प्राप्त होने पर ग्राम जम्बाड़ी जाकर अभियुक्त से धारदार छुरी जप्त करना, उसे गिरफ्तार करने के बाद थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में यह सही होना बताया है कि जप्ती पत्रक में नमूना सील नहीं लगी है तथा सुझाव दिये जाने पर जप्तशुदा आयुध की नाप अंगुल से की जाना बताया है तथा इसी पैरा में जप्तशुदा आयुध के धारदार न होने की बात को गलत बतायी है। जप्ती पत्रक में जप्तशुदा आयुध साक्षियों के समक्ष सीलबंद किया जाना प्रकट हो रहा है परंतु किसी भी साक्षी ने अपने समक्ष आयुध की जप्ती किये जाने का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी ने आयुध की नाप अंगुल से किया जाना बताया है जो कि किसी भी दशा में नाप का निश्चायक मापदंड नहीं है। तब ऐसी दशा में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध प्रतिबंधित आकार प्रकार का है अथवा नहीं। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपराध क्रमांक अंकित है जिससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती

एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। अतः ऐसी दशा में एकमात्र विवेचक साक्षी के कथनों पर विश्वास करके अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 13.10.2013 को 16:30 बजे या उसके लगभग उसके घर के सामने मेन रोड जम्बाड़ी खुर्द थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 20 अंगुल चौड़ाई 3 अंगुल रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त रामकिशोर को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत तोड़कर नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)